

Registration no: (23514842021822113120) Date: (22-08-2021) Valid till: (22-8-2024)



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | AURANGABAD
शिक्षा विभाग, विहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

केन्द्रीय मध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ०

शिक्षा केंद्र, २ कम्प्युनिटी सेंटर ०

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोगनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीकति का प्रमाण पत्र।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक, 22-08-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक आपके विद्यालय ST. JOSEPH PUBLIC SCHOOL, Rampur Road., Amba, 824111, कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्ष 22-08-2021 से 22-8-2024 अवधि के लिए औपचारिक प्रस्तीकति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीकति निम्न शर्तों के अधीन होगी।

- प्रस्तीकति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक वही शीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
- विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्न-1) तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुलग्न-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
- विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। पढ़ोम के कमज़ोर दर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि पढ़ि विद्यालय में पूर्ण प्रारंभिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्ण प्रारंभिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
- कठिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
- सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
- विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उच्च प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इकार नहीं कर सकेगा।
- विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य तुनिश्चित किए जाएंगे।
 - किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोकाकर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
 - शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में जलग्र नहीं होंगे।
- विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

(i) विद्यालय परिवर्त का क्षेत्रफल :- 200

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 200

(iii) स्कूल के गैदान का क्षेत्र :- Water, Bijli, Play Ground, Library, Separate Facility of Toilet Boy & Girls, and other more facility Available

(iv) बारी काढ़ी की कुल संख्या :- 12

(v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भौतिक कक्ष :- 4

(vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 6 , Girls 4

(vii) प्रेयजल की सुविधा :- 4

(viii) मध्याह्न खोजन के लिये इसोई घर :- 2

(ix) आधारित पर्सनल :-

(x) शिक्षण अधिगम जामानी: बोर्ड-कृष्ण उपकरण/प्रूफ्लॉप पुस्तकालय :- Black Board, White Board , Electronic Board, Projector, Computers, Study Table & Chairs, And Many More Equipment's Available , Foot Ball, Volley Ball, Racket, Carrom Board , Ludo, Chess , Basket Ball And Many More Facility Available , (Y , 999 , NewsPaper MagaZine:- 200)

11. कोई भी अपर्स्वीकृत वर्गका विद्यालय परिवर्त में या बाहर विद्यालय के नाम से संबंधित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अध्या अन्य संरचनाएँ अधवा वैदान का उपयोग केरवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्वाचित सोसाईटी के द्वारा अधवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के ठहर गठित किसी प्रतिक्रिया द्वारा निर्धारित तिथि तक अध्ययन के लिए संचालित नहीं होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्तिका, समूह अधवा व्यक्तियों के संघ अधवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष लिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवृत्ति प्रस्तीकृति कोड संख्या [23514842021822113120, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्रवाचार करने में इस कोड को अकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राधिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाप्त "मौति किए गए प्रतिरेद्दन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर प्रस्तीकृति की शर्तों के लगातार स्वयं से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अध्या विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को द्रुत करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निर्वाचन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुलग्न न के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

*✓ 28-
25/04/22*

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, AURANGABAD
सह-संचिव प्रस्तीकृत समिति
शिक्षा विभाग , विहार सरकार
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद